राजस्थान सरकार

# निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

(स्वास्थ्य भवन, सी स्कीम, जयपुर)

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/ 181 दिनांक : 11/5/18

## आदेश

श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं अन्य (12 याचिगण) ने माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर में दायर एस.बी.सि.रिट पिटिशियन संख्या 17023/2017 में पारित आदेश दिनांक 09.01.18 की पालना में प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2013 की निरन्तरता में प्रयोगशाला सहायक की पदवृद्वि 385 की फाईल को न्यायसंगत (लॉ) के अनुसार कार्यवाही कर प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्ति प्रदान करने हेतु निवेदन किया है।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर का पारित आदेश दिनांक 09.01.18 निम्न प्रकार से है:–

1. This writ petition under Article 226 of the Constitution of India has been preferred with the following prayers:
   - (i) The respondents may kindly be directed to increase 385 posts of Prayogshala Sahayak and give appointment to the petitioner
   - (ii) The respondents may kindly be directed to take final decision regarding increasing 385 posts of Prayogshala Sahayak in Pursuance to the communication dated 22.09.2016, 11.01.2017 and 04.01.2017 (Annex.8).
   - (iii) Any other appropriate writ, order or direction, which this Hon'ble Court deems just and proper may kindly be passed in favour of petitioners."
2. Learned counsel for the petitioners, at the outset, submits that the petitioners seek to get their representation decided by the respondents.
3. The respondents are directed to decide the representation of the petitioners strictly in accordance with law.
4. The present writ petition stands disposed of accordingly. "

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पारित आदेश दिनांक 09.01.18 के परिपेक्ष्य में याचिगणों द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन द्वारा प्रयोगशाला सहायक पद के रिक्त/शेष पदों पर चयन/भर्ती किये जाने से सबंधित अनुतोष के संबंध में नियमों में प्रावधान के अनुरूप पूर्व में विज्ञापित प्रयोगशाला सहायक के 543 पदों के पश्चात इन पदों में 50 प्रतिशत की वृद्वि की जाकर 814 पदों के लिये भर्ती प्रकिया जारी करते हुये पात्र अभ्यर्थियों की उपलब्धतानुसार पदों पर चयन/भर्ती की जाकर भर्ती प्रकिया सम्पन्न की जा चुकी है।

अतः माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 17023/17 के आदेश दिनांक 09.01.2018 के परिपेक्ष्य में प्रस्तुत याचिगणों के अभ्यावेदन दिनांक 16.01.2018 को एतद् द्वारा अस्वीकार किया जाता है।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक : ई33/प्रयो. सहा./भर्ती सीधी–2013/2018/ 181 दिनांक 11/5/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को वास्ते सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) राजस्थान, जयपुर।
3. उपविधि परामर्शी, मुख्यालय।
4. श्री के.एल ठाकुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
5. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–जोधपुर।
6. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
7. संबंधित याचिगण श्री मुकेश शर्मा पुत्र श्री ओमप्रकाश शर्मा एवं अन्य 12 याचिगण को प्रेषनार्थ। रजिस्टर्ड
8. आदेश पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।